जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना   दिनांक – 28.02.2024

थाना नगीना पुलिस ने मु0अ0सं0 46/24 धारा 323/308/504/506 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 11.02.2024 को वादी श्री मनीष पुत्र श्री बलवीर सिंह निवासी मौ0 विश्नोई सराय कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर द्वारा थाना नगीना पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 10.02.2024 को अभियुक्तगण 1.सुहैल पुत्र समीम, 2.भूरा पुत्र मुस्ताक, 3.सोनू व 4.जिशान निवासीगण मौ0 विश्नोई सराय कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर द्वारा वादी व शिवा पुत्र जयप्रकाश के साथ गाली – गलौच तथा मारपीट की गयी, जिससे वादी व शिवा को काफी गम्भीर चोटें आयी तथा शिवा बेहोश गया । तहरीर के आधार पर थाना नगीना पर मु0अ0सं0 46/24 धारा 323/308/504/506 भादवि बनाम सुहैल आदि उपरोक्त कुल 04 नफर पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.02.2024 को थाना नगीना पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 46/24 धारा 323/308/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्तगण 1.जिशान पुत्र अब्दुल मलिक 2.सोनू उर्फ शमशाद पुत्र मौ0 हनीफ निवासीगण मौ0 कायस्थी सराय कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –

1.जिशान पुत्र अब्दुल मलिक निवासी मौ0 कायस्थी सराय कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर
2.सोनू उर्फ शमशाद पुत्र मौ0 हनीफ निवासी मौ0 कायस्थी सराय कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री सुभाष तोमर थाना नगीना जनपद बिजनौर
2. हे0कां0 638 अंकित कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर
3. कां0 2553 विशाल कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नूरपुर दिनांक 28.02.2024

थाना नूरपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 48/2024 धारा 307/323/325/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 15/02/2024 को वादी श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र आशाराम निवासी ग्राम खजूरी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त 1.अमन पुत्र सरवन कुमार 2.प्रशान्त पुत्र जितेन्द्र निवासीगण ग्राम खजूरी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर 3.अमन पुत्र महिपाल निवासी ग्राम खेडकी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने वादी पर जान से मारने की नियत से फायर किया व लाठी डन्डों से मारपीट की। तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 48/2024 धारा 307/323 भादवि बनाम अमन आदि 03 अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 325/506 भादवि का वृद्धि की गई व प्रशान्त उपरोक्त की नामजदगी झूठी पाई गई तथा शेखर पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम दौयज थाना नौगावां सादात जनपद अमरोहा का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.02.2024 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्त 1.अमन पुत्र सरवन सिंह निवासी ग्राम खजूरी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर 2.शेखर पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम दौयज थाना नौगावां सादात जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1.अमन पुत्र सरवन सिंह निवासी ग्राम खजूरी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

2.शेखर पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम दौयज थाना नौगावां सादात जनपद अमरोहा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 मौ0 यासीन थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

2.मुख्य आरक्षी 415 भूपेन्द्र सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना हीमपुर दीपा दिनांक – 28.02.2024

थाना हीमपुर दीपा पुलिस ने मु0अ0सं0 14/24 धारा 307 भादवि में प्रकाश में आये 02 बाल अपचारियों को घटना मे प्रयुक्त मोटरसाइकिल व एक अवैध तमंचा 12 बोर व एक खोखा एवं एक जिन्दा कारतूस सहित पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

संक्षिप्त विवरण –

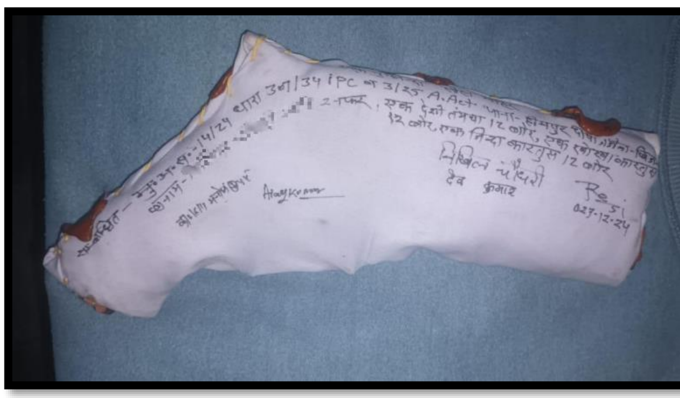

दिनांक 19.02.2024 को वादी श्री विकुल कुमार पुत्र हरपाल सिंह निवासी ग्राम कुतुबपुर गढी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ने थाना हीमपुर दीपा पर तहरीर दी कि दिनांक 19.02.2024 को वादी तथा वादी का छोटा भाई सुमित खेत में काम कर रहे थे कि समय करीब 11.30 बजे सुमित पानी पीने के लिये सडक पर गया तो CT100 मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात लडके गंज की तरफ से आये तथा वादी के भाई सुमित के उपर फायर करके भाग गये। तहरीर के आधार पर थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 14/24 धारा 307 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में 02 बाल अपचारियों का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.02.2024 को थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त घटना में प्रकाश में आये 02 बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। बाल अपचारियों के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त मोटरसाइकिल CT100 रजि0 नं0 UP20AZ0761, एक अवैध तमंचा 12 बोर व एक खोखा एवं एक जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। शस्त्र बरामदगी के आधार पर अभियोग मे धारा 3/25 शस्त्र अधि0 की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण –

बाल अपचारी ने पूछताछ पर बताया कि सुमित उर्फ शेखर के बड़े भाई विपुल के साथ मेरी बुआ की शादी हो रखी है। करीब 02 वर्ष पहले मेरी बड़ी बहन को मेरी बुआ अपने साथ कुतुबपुर गढ़ी लेकर गयी थी जहां मेरी बहन करीब एक महीने रही थी। सुमित उर्फ शेखर ने मेरी बहन के साथ गलत किया था, जिस कारण मेरी बहन ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी। इसलिये मै तथा मेरे चाचा के लड़के ने बदला लेने की सोच रखी थी कि कब हमे मौका मिले और हम अपनी बहन का बदला ले।

दिनांक 19.02.2024 की सुबह स्कूल जाने की बात कह कर हम दोनो ने कमरे से देशी कट्टा उठा कर छुपाकर स्कूल बैग में रख लिया तथा अपनी मोटर साइकिल लेकर स्कूल की जाने की कह कर घर से निकल तथा ग्राम कुतुबपुर गढ़ी में जाकर खेत में सुमित उर्फ शेखर का इन्तजार करने लगे। समय करीब 11.30 बजे के सुमित उर्फ शेखर जब सडक पर आया तो हम दोनो ने सुमित उर्फ शेखर के फायर कर दिया तथा वहां से भाग गये।

बाल अपचारी का नाम व पता –

02 बाल अपचारी

बरामदगी –

मोटरसाइकिल CT100 रजि0 न0 UP20AZ0761

घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा 12 बोर व एक खोखा एवं एक जिन्दा कारतूस

बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लेने वाली टीम –

1. उ0नि0 श्री रणवीर सिंह थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
2. कां0 1614 मनोज कुमार थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
3. कां0 1754 अजय कुमार थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना मंडावली **दिनांक- 28.02.2024**

थाना मंडावली पुलिस द्वारा "ऑपरेशन क्लीन" के अन्तर्गत आबकारी अधिनियम के 65 मालों को कराया नष्ट।

<u>कार्यवाहीः-</u>

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में मालों के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे "ऑपरेशन क्लीन" के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में थाना मंडावली पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय जे0एम0 प्रथम नजीबाबाद जनपद बिजनौर के आदेश के क्रम में क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद, सहायक अभियोजन अधिकारी, आबकारी निरीक्षक की उपस्थिति में थाना मंडावली पर आबकारी अधिनियम से संबंधित 65 मालो में कुल 1500 लीटर अवैध कच्ची शराब को नष्ट किया गया।

<u>माल निस्तारण टीम का विवरणः-</u>

1. श्री अनिल कुमार सिंह (क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद) जनपद बिजनौर।
2. श्रीमति रचना सैनी सहायक अभियोजन अधिकारी, नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
3. सुश्री मोनिका यादव आबकारी निरीक्षक सर्किल नजीबाबाद, जनपद बिजनौर।
4. श्री सुदेश पाल सिंह, थाना प्रभारी मंडावली जनपद बिजनौर।
5. श्री सुभान रजा वाद लिपिक न्या0 जे0एम0 मजि0 जनपद बिजनौर।
6. हे0मोहर्रिर 229 ध्यान सिंह, थाना मंडावली जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नगीना देहात **दिनांक 28.02.2024**

थाना नगीना देहात पुलिस ने अभियुक्त को 40 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित किया गिरफ्तार

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त बलवीर उर्फ दलवीर सिंह पुत्र कपूर सिंह निवासी ग्राम बगनाला थाना बढापुर जनपद बिजनौर को 40 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0-58/2024 धारा 60(1) आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

बलवीर उर्फ दलवीर सिंह पुत्र कपूर सिंह निवासी ग्राम बगनाला थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरणः-

40 लीटर अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.मुख्य आरक्षी 31 अमित कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

2-का0 2020 विनय कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

3-का0 1299 नितिन कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

4-का0 2583 दिनेश कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर दिनांक – 28.02.2024

थाना चांदपुर पुलिस ने अभियुक्त को चोरी की गयी ई – रिक्शा सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 28.02.2024 को वादी श्री मुक्ते हसन पुत्र श्री इबले हसन निवासी ग्राम कमालपुर खादर थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चाँदपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 10/11.02.2024 की रात्री में अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी की ई-रिक्शा नं0 UP20BT0486 घर के बाहर से चोरी कर ली गयी थी, जिसको वादी ने काफी तलाश किया, किन्तु नही मिली। तहरीर के आधार थाना चाँदपुर पर मु0अ0सं0 98/2024 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में शाहरूख पुत्र शाहिद निवासी ग्राम चुचैला कलां थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा व 2.हाशिम उर्फ किट्टो पुत्र इरशाद निवासी ग्राम रवाना थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व चोरी की घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी व चोरी की घटनाओं के अनावरण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.02.2024 को थाना चाँदपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त शाहरूख पुत्र शाहिद निवासी ग्राम चुचैला कलां थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की गई ई – रिक्शा बरामद की गयी। बरामदगी के आधार पर आधार पर अभियोग मे धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शाहरूख पुत्र शाहिद नि0 ग्राम चुचैला कला थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा

बरामदगी –

एक ई – रिक्शा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर

2.कां0 2523 संदीप कुमार थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर

3.कां0 2567 संजीव कुमार थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना कोतवाली देहात **दिनांक 28.02.2024**

थाना कोतवाली देहात पुलिस ने वारंटी अभियुक्त को 18 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वारंटी/अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त अकरम पुत्र अकबर नि0 ग्राम दौलताबाद थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को 18 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0-53/2024 धारा 60(1) आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अकरम पुत्र अकबर नि0 ग्राम दौलताबाद थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरणः-

18 लीटर अवैध कच्ची शराब।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.मुख्य आरक्षी 622 संजय कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
2.आरक्षी 1384 अमित कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चाँदपुर **दिनांक – 28.02.2024**

थाना चाँदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 78/2024 धारा 147/149/323/325/504/506/427/307/34 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 11.02.2024 को वादी श्री सचिन कुमार पुत्र राकेश सिंह निवासी ग्राम शेखुपुरा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 11.02.2024 को अभियुक्तगण 1.गुरुदेश 2.उदयभान पुत्रगण बलराज 3.अरूण पुत्र उदयभान 4.मुकुल पुत्र गुरूदेश निवासीगण ग्राम शेखुपुरा थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर व 03 – 04 व्यक्ति नाम व पता अज्ञात वादी के खेत पर लगे पिलर को उखाड़ रहे थे। वादी द्वारा मना करने पर अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर अपने हाथों में लिये लोहे की रॉड व डंडे से वादी के साथ मारपीट की गयी, जिससे वादी के गम्भीर चोटे आयी व अभियुक्त अरूण ने तमंचे से वादी पर जान से मारने की नियत से फायर किया व जान से मारने की धमकी दी गयी।

तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 78/2024 धारा 147/149/323/504 /506/427/307/34 भादवि बनाम गुरुदेश आदि उपरोक्त कुल 04 नफर व 03 – 04 व्यक्ति अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 325 भादवि की वृद्धि की गयी तथा अभियुक्तगण 1.प्रक्षित पुत्र मनोज कुमार निवासी ग्राम राजोपुर बहमन थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर 2.सौभित पुत्र जीवन निवासी ग्राम मिठनपुर थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.02.2024 को थाना चाँदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 78/2024 धारा 147/149/323/325/504/506/427/307/34 भादवि में वांछित अभियुक्तगण 1-उदयभान 2-गुरुदेश पुत्रगण बलराज निवासीगण ग्राम शेखुपुरा थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक लोहे की रॉड़ व एक लकड़ी का डन्डा (बैस बॉल खेल में प्रयुक्त होने वाला) बरामद किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है। शेष वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1- उदयभान पुत्र बलराज निवासी ग्राम शेखुपुरा थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर

2- गुरुदेश पुत्र बलराज निवासी ग्राम शेखुपुरा थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

एक लोहे की रॉड़

एक लकड़ी का डन्डा (बैस बॉल खेल में प्रयुक्त होने वाला)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री जुगेन्द्र तेवतिया थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर

2.कां0 865 धन सिंह थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर

3.कां0 2341 मौ0 सिराज थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर   दिनांक – 28.02.2024

जनपदीय पुलिस द्वारा 08 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा 08 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1.	मंडावर	कपिल पुत्र प्रीतम सिहं निवासी ग्राम मीरापुर खादर थाना मंडावर जनपद बिजनौर
2.	मंडावर	नितिन कुमार पुत्र मामराज सिंह निवासी ग्राम कोहरपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर
3.	मंडावर	कुलदीप पुत्र हरफूल निवासी हरफूल थाना मंडावर जनपद बिजनौर
4.	नजीबाबाद	रणवीर निराला पुत्र बुद्धु सिंह नि0 ग्राम मौज्जमपुर तुलसी थाना नजीबाबाद बिजनौर
5.	नजीबाबाद	विकास दत्त पुत्र स्व0 सुभाष नि0 ग्राम सिकन्दरपुरबसी थाना नजीबाबाद बिजनौर
6.	नजीबाबाद	चतरू पुत्र बसन्ता निवासी ग्राम मौजमपुर सादात थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
7.	किरतपुर	राजू पुत्र होरीलाल नि0 वाल्मिकी बस्ती मौ0 सिंघाडियान थाना किरतपुर बिजनौर
8.	स्योहारा	विकास पुत्र विजयपाल नि0 सेक्टर रोड फैजुल्लापुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

थाना मंडावर

थाना नजीबाबाद

थाना किरतपुर

थाना स्योहारा

प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर **दिनांकः- 28.02.2024**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना नूरपुर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा पीडिता को बहला फुसलाकर ले जाने वाले अभियुक्त को 03 वर्ष 03 माह के कारावास व 30,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

दिनांक 20.03.2019 को अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह पुत्र सुखलाल निवासी शाहनजरपुर कोट थाना नूरपुर जनपद बिजनौर के विरुद्ध वादी की नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर ले जाने के संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 110/2019 धारा 363/366 भादवि व 7/8 पॉक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गई एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 28.02.2024 को मा0 न्यायालय पॉक्सो एक्ट द्वारा मु0अ0सं0 110/19 धारा 363/366 भादवि व 7/8 पॉक्सो अधिनियम के अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह पुत्र सुखलाल निवासी ग्राम शाहनजरपुर कोट थाना नूरपुर जनपद बिजनौर 03 वर्ष 03 माह के कारावास व 30,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि तीस हजार रुपयें में से बीस हजार रुपये पीडिता को प्रतिकर के रुप में देय होगे।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मिलित था।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

1- सुरेन्द्र सिंह पुत्र सुखलाल निवासी शाहनजरपुर कोट थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक – 28.02.2024**

जनपद में हिस्ट्रीशीटर अपराधियों के सत्यापन हेतु चलाये गये 10 दिवसीय अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही।

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन – 2024 के दृष्टिगत हिस्ट्रीशीटरों के सत्यापन का 10 दिवसीय अभियान चलाया गया। अभियान के क्रम में समस्त अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने - अपने सर्किल के थाना प्रभारियों को ब्रीफ किया गया तथा अपने निकट पर्यवेक्षण में हिस्ट्रीशीटरों का सत्यापन कराया गया।

अभियान के दौरान समस्त थाना प्रभारियों द्वारा हिस्ट्रीशीटरो के डोजियर तैयार किये गये तथा घर - घर जाकर हिस्ट्रीशीटरों के बारे में पता कर सत्यापन किया गया और उनकी फोटो लेकर डोजियर पर चस्पा की गयी। थाना प्रभारियों द्वारा हिस्ट्रीशीटरो को किसी भी आपराधिक गतिविधियों में सम्मलित ना होने के संबंध में चेतावनी दी गई तथा कानून व्यवस्था के अनुरुप जीवन यापन करने के लिये निर्देशित किया गया।

वर्तमान में जनपद में 2254 हिस्टीशीटर है। सत्यापन के दौरान पाया गया कि 146 हिस्ट्रीशीटर कारागार में निरुद्ध, 10 मृत, 207 लापता व 1891 मौजूद है। 826 सक्रिय हिस्ट्रीशीटर के विरुद्ध 110 जी की कार्यवाही तथा 94 सक्रिय हिस्ट्रीशीटर के विरुद्ध गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की गयी है।

उल्लेखनीय है कि अभियान से पूर्व जनपद में 333 हिस्ट्रीशीटर लापता थे, सत्यापन के दौरान 126 लापता हिस्ट्रीशीटरों का पता लगाया गया।

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा अभियान के उपरान्त लापता 207 हिस्ट्रीशीटरो के सत्यापन के लिये पूर्व में प्रचलित अभियान को 10 दिवसीय अवधि के लिये बढाया गया है।

हिस्ट्रीशीटर अपराधियों की चेंकिग/सत्यापन/निरोधात्मक कार्यवाही का विवरण

क्र0 सं0	थाना	हिस्ट्रीशीटरों की सं0	हिस्ट्रीशीटर की वर्तमान स्थिति				सक्रिय हिस्ट्रीशीटरों के विरुद्ध कार्यवाही	
			जेल	मृत	लापता	मौजूद	110 जी द0प्र0सं0	गुण्डा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	को0 नगर	177	11	0	17	149	52	5
2	हल्दौर	128	12	0	4	112	104	8
3	मण्डावर	101	5	1	6	89	12	6
4	नजीबाबाद	137	14	0	16	107	60	0
5	किरतपुर	135	13	1	3	118	70	10
6	मण्डावली	49	4	0	5	40	33	1
7	नांगल	97	4	0	2	91	14	5
8	चाँदपुर	123	12	2	22	87	25	4
9	नूरपुर	132	5	1	13	113	58	7
10	हीमपुरदीपा	121	7	1	9	104	32	10
11	शिवालाकलां	37	1	0	1	35	22	2
12	नगीना	141	6	0	15	120	21	8
13	को0देहात	142	8	1	14	119	87	3
14	न0देहात	77	0	0	4	73	43	11
15	बढापुर	83	6	0	9	68	34	7
16	धामपुर	123	9	0	12	102	14	0
17	नहटौर	121	10	0	15	96	13	3
18	स्यौहारा	152	10	3	17	122	43	4
19	अफजलगढ	87	4	0	13	70	46	0
20	शेरकोट	72	3	0	8	61	30	0
21	रेहड़	19	2	0	2	15	13	0
सम्पूर्ण योग		**2254**	**146**	**10**	**207**	**1891**	**826**	**94**